

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग


(कर अनुभाग)

जयपुर, दिनांक :

19 SEP 2024

सं. एफ. 2(7)वित्त/कर/2024-98:-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 2(7)वित्त/कर/2024-98 दिनांक 30.08.2024 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,



(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, दिनांक : अगस्त 30, 2024

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 2 के खंड (X) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्याक प. 7(8)वित्त/कर/2011-17 दिनांक 16.05.2011 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त निदेशक, राजस्व आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को, उसके पदाभिधान से राजस्थान राज्य के लिए कलक्टर के रूप में इसके द्वारा नियुक्त करती है।

सं. एफ. 2(7)वित्त/कर/2024-98

राज्यपाल के आदेश से,

ह0

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आसाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5. महानिदेशक, राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव